

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

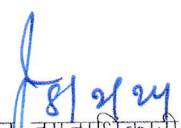
रा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष – बिलासमनी देवी ।

बनाम

द्वितीय पक्ष – शिव प्रसाद सिंह,..... बगैरह।

वाद सं0 55 / 2023

आदेश की क० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं० 16 / 2023 दिनांक 24 / 06 / 2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष (1) बिलासमनी देवी उम्र 75 वर्ष पति स्व० चुनी सिंह ग्राम लठदाग थाना सिसई, जिला गुमला (2) आशा देवी उम्र 30 वर्ष पति स्व० रामनाथ सिंह ग्राम लरंगो थाना पुसो जिला गुमला (3) नारायण सिंह उम्र 52 वर्ष पिता स्व० चुनी सिंह ग्राम लठदाग थाना सिसई जिला गुमला (4) कबूत्री देवी, उम्र 35 वर्ष पिता राजेन्द्र सिंह ग्राम चैनपुर डुमरटोली थाना जारी जिला गुमला (5) गणेश सिंह उम्र 36 वर्ष पिता सोसो थाना तोरपा जिला खुटी (6) दिनेश सिंह उम्र 35 वर्ष पिता अफिन्द्र सिंह ग्राम डुमारी थाना कर्रा, जिला खुटी (6) बब्लू सिंह उम्र 25 वर्ष पिता शोकेन सिंह ग्राम सोसो थाना तोरना जिला खुटी (7) सागर सिंह उम्र 70 वर्ष पिता महाबीर सिंह ग्राम कुवाटोली थाना पालकोट जिला गुमला (8) श्यामबिहारी सिंह उम्र 40 वर्ष पिता दुर्गा सिंह ग्राम सेरका गिना बिशुनपुर जिला गुमला (9) रामानंद सिंह उम्र 45 वर्ष पिता राजकेश्वर सिंह ग्राम कुवाटोली थाना पालकोट जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) शिव प्रसाद सिंह, उम्र 60 वर्ष पिता स्व० अभिमन्यु सिंह (2) रामप्रसाद सिंह उम्र 55 वर्ष पिता स्व० रामप्रसाद सिंह (3) हीरामनी देवी उम्र 50 वर्ष पति शिवप्रसाद सिंह (4) अनिता देवी उम्र 45 वर्ष पति रामप्रसाद सिंह (5) अंजिता देवी उम्र 26 वर्ष पति तेजु सिंह सभी ग्राम कुवाटोली, थाना पालकोट जिला गुमला के बीच आपसी विवाद एवं तनाव हैं। फलस्वरूप उभय पक्षों के द्वारा शांति फैलाने की सम्भावना है। उभय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया उभय पक्ष न्यायालय में अनुपस्थित हुए :- उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समयावधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त है एवं वाद की कार्रवाई की समयअवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित ।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	